भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **2412**

जिसका उत्तर मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024/26 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक उद्योग पर इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर

2412. श्री येरेम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक उद्योग को इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सामना करना पड़ रहा है;
(ख) क्या यह भी सच है कि उर्वरकों के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर तैयार उत्पाद की तुलना में अधिक जीएसटी लगाया जाता है;
(ग) क्या जीएसटी परिषद ने उपरोक्त मुद्दे का अध्ययन करने के लिए एक मंत्रिसमूह (जीओएम) का गठन किया है; और
(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रिसमूह ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): जीएसटी दरें जीएसटी परिषद, की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं, जो कि एक संवैधानिक निकाय है और जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वर्तमान में, उर्वरकों पर 5% की दर से जीएसटी लगाया जाता है और उर्वरक ग्रेड फॉस्फोरिक एसिड पर भी 5% की दर से जीएसटी लगाया जाता है। अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे कच्चे माल पर 18% की जीएसटी दर लागू होती है। जीएसटी परिषद ने 22.06.2024 को अपनी 53वीं बैठक में उर्वरकों, कच्चे माल और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी कम करने के मामले को समग्र दृष्टिकोण के लिए दर निर्धारण संबंधी मंत्रियों के समूह (जीओएम) को भेजा था। दर निर्धारण संबंधी मंत्रियों के समूह ने अभी तक जीएसटी परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

******